



## केंद्रीय बजट 2025-26

### प्रलिस के ललल:

संसद, मखाना, वलशल आरथकल कषेतर, मेड इन इंडलल, SMR, परमाणु ऊरुजा अधनललल, परमाणु कषतलके ललल नागरकल दलयतलतव अधनललल, उडान योजनल, आयकर, लथललल-आयन बैटरल, UPI, ई-शरम डोरटल, PM जन आरोग्य योजनल, NaBFID, परधानमंतरल धन-धान्य कृषलयोजनल, दललल में आत्मनरलभरतल, संशोधतल MSME वर्गीकरण, शहरी चुनलुतल नधलल

### मेनुस के ललल:

संसाधन आवंटन, आरथकल योजनल, राजकोषलय स्थरलतल, कल्यलणकलरल योजनलएँ और राष्ट्रलय वकलस के ललल केंद्रीय बजट कल महतुतुव ।

[सुरत: डी.आई.डी](#)

### चरुल में क्युल?

केंद्रीय वतलत मंतरल दवलरल संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 डेश कलय गयल, जसलमें वकलस के 4 इंजनल- कृषल, सुकषम, लघु और मध्यम उदयम (MSME) नवलश और नरलयलत को रेखलंकतल कलय गयल है ।

- 'सबकल वकलस' लकष्य के सलथ केंद्रीय बजट 2025-26 कल उददेश्य सभी कषेतरुल में संतुलतल वकलस को डुरतुसलहतल करनल है ।
- बजट की थीम के अनुरुड, वतलत मंतरल ने वकलसतल डलरत के वलयडक सदलधलंतुल को रेखलंकतल कलय है ।

//

## Principles of Viksit Bharat

### Agricultural Excellence

Farmers making our country the 'food basket of the world'



### Zero-Poverty

Ensuring no one lives below the poverty line



### Women's Economic Participation

70% women in economic activities



### Quality Education

Providing access to high-quality education for all



### Skilled Labor

Hundred per cent skilled labour with meaningful employment




### Healthcare Access

Ensuring high-quality, affordable and comprehensive healthcare



- बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है।



# केंद्रीय बजट



एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण

## अनुच्छेद 112 ( भाग V )

- भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

भारत के संविधान में कहीं भी 'बजट' शब्द का उल्लेख नहीं है

## बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय

- बजट प्रभाग ( आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय ) नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से

स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था।

## बजट के प्रमुख घटक

- राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
- राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
- व्यय अनुमान
- समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ/व्यय ( +कमी/अधिशेष )
- आने वाले वित्तीय वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति

वर्ष 2017 तक, भारत सरकार द्वारा 2 बजट पारित किये जाते थे- रेल बजट और आम बजट

## बजट के चरण

- प्रस्तुति
- आम चर्चा
- विभागीय समितियों द्वारा जाँच
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना
- वित्त विधेयक पारित करना



भारत का संविधान बजट के लिये अन्य कौन-से प्रावधान करता है ?

- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना:
  - अनुदान की मांग नहीं की जा सकती
  - करारोपण वाला कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है
- कानून द्वारा किये गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता
- संसद की भूमिका:
  - धन/वित्त विधेयक ( कराधान को शामिल करते हुए ) - केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है
  - अनुदान की मांग पर मतदान - राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
  - धन/वित्त विधेयक - 14 दिनों के भीतर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को वापिस भेज दिया जाता है।
  - लोकसभा, राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।

## केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन कौन से हैं?

### पहला इंजन: कृषि

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 ज़िलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, संचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।
  - कौशल, नविश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिये राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु-कषेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा।
- दलहनों में आत्मनिर्भरता: सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिये एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। जिससे जलवायु-अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चिता होंगे।
  - केंद्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मलिन वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिये तैयार रहेंगे।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बढ़ी हुई सीमा: 7.7 करोड़ किसानों के लिये ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिये इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया।
- उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मशिन: अनुसंधान को मज़बूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी

बीज कसिमों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- **कपास उत्पादकता मशिन:** सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 5 वर्ष की पहल।
- **बिहार में मखाना बोर्ड:** **मखाना** के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी।
- **फलों और सब्जियों के लिये व्यापक कार्यक्रम:** कुशल **आपूर्ति शृंखला** को बढ़ावा देना और किसानों के लिये बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करना।
- **मत्स्य विकास:** भारतीय **वशिष्ट आर्थिक क्षेत्र** और उच्च सागर में **सतत मत्स्य पालन** के लिये नई रूपरेखा, **अंडमान एवं निकोबार** तथा **लक्षद्वीप** पर ध्यान केंद्रित करना।
- **असम में यूरिया संयंत्र:** कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये **बरहमपुत्र घाटी उर्वरक नगिम लिमिटेड (BVFL)** के परिसर में 12.7 लाख मीटरकि टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- **दूसरा इंजन: एमएसएमई**
- **संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण:** नविश और कुल कारोबार सीमाओं को **क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया** गया है, जिससे **लघु उद्यम** के लिये ऋण के अवसर बढ़ेंगे।

₹ in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- **सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड:** 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिये 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, **वित्तीय समावेशन** और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
  - **एमएसएमई के लिये ऋण कवर:** गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे ऋण तक पहुँच बढ़ सकेगी।
  - **चमड़ा और फुटवियर के लिये फोकस प्रोडक्ट स्कीम:** 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा।
  - **खिलौना क्षेत्र (TOY) का विकास:** क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में **'मेड इन इंडिया'** ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान:** बिहार में **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान** की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
  - **स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स:** विस्तारित दायरे और **10,000 करोड़ रुपए** के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा।
- **तीसरा इंजन: नविश**
  - **शहरी चुनौती नधि:** 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' तथा 'जल एवं स्वच्छता' को समर्थन देने के लिये ₹1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिये ₹10,000 करोड़ आवंटित किये गए।
  - **जल जीवन मशिन:** कुल बजट परवियय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मशिन की अवधि वर्ष **2028 तक बढ़ा** दी गई है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिये अधिक वित्त पोषण के साथ **सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति** सुनिश्चित होगी।
    - इस मशिन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं, जो भारत की ग्रामीण आबादी का **80% हिस्सा** हैं।
  - **समुद्री विकास नधि:** ₹25,000 करोड़ का कोष (सरकार द्वारा 49% योगदान), जहाज निर्माण, **बंदरगाहों** और **रसद बुनियादी ढाँचे** के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण का समर्थन करता है।
  - **IIT का विस्तार:** **6,500 अतिरिक्त छात्रों** के लिये अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा, भारत की **तकनीकी शिक्षा क्षमता** को बढ़ावा देगा।
    - **PM रिसर्च फेलोशिप:** IIT और IISc में उन्नत अनुसंधान के लिये **10,000 फेलोशिप**।
  - **डे केयर कैंसर सेंटर:** इन्हें अगले 3 वर्षों में **सभी ज़िला अस्पतालों** में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किये जाएंगे, जिससे **कैंसर उपचार** की कफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
  - **भारतीय भाषा पुस्तक योजना:** इसके तहत **स्कूल और उच्च शिक्षा** तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में **भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें** उपलब्ध कराई जाएंगी।
  - **विकसित भारत के लिये परमाणु ऊर्जा मशिन:** **समॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR)** के लिये **20,000 करोड़ रुपए** के परवियय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
    - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम** और **परमाणुवीय नुकसान के लिये सविलि दायित्व अधिनियम** में संशोधन के क्रम में नज्दी क्षेत्र के साथ सकारण भागीदारी के लिये विचार किया जाएगा।
  - **UDAN - क्षेत्रीय संपर्क योजना:** संशोधित **उड़ान योजना** के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है।
    - यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में **हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी**।
  - **बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट:** बिहार में **ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट** विकसित किये जाएंगे, साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा (पटना) में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
  - **पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना:** मथिलिंचल, बिहार में सचिई अवसरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

- **रोज़गार आधारित विकास के लिये पर्यटन:** देशभर के 50 प्रमुख **पर्यटन स्थलों** को राज्यों के सहयोग से '**चैलेंज मोड**' के तहत विकसित किया जाएगा।
- **चौथा इंजन- नरियात संवर्द्धन:**
  - **नरियात संवर्द्धन मशिन:** कृषेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक **नरियात संवर्द्धन मशिन** का शुभारंभ किया जाएगा, **जसि वाणजिय मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वतित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।**
  - **भारतट्रेडनेट (BTN):** एक **एकीकृत डजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार** दस्तावेजीकरण और वतित्तपोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।
  - **ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटरस (GCC) हेतु राष्ट्रीय ढांचा:** उभरते हुए द्वितीय श्रेणी (टयिर-2) शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों (Global Capability Centres) को बढ़ावा देने के लिये नीतगित प्रोत्साहन दिये जाएंगे, जसिसे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके।
  - **एयर कार्गो के लिये भंडारण सुविधा:** उच्च-मूल्य वाले नाशवंत (perishable) उत्पादों के नरियात को सक्षम बनाने के लिये उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जसिसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक तेज़ और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

## केंद्रीय बजट 2025-26 की अन्य प्रमुख वशिषताएँ क्या हैं?

- **कराधान और वतित्तीय सुधार:**
  - **प्रत्यक्ष कर: 12 लाख रुपए** तक की वार्षिक आय पर कोई **आयकर** नहीं, छूट के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिये इसे बढ़ाकर **12.75 लाख रुपए** किया गया है।

आय (₹ में)	कर की दर
₹0 - ₹4 लाख	शून्य
₹4 - ₹8 लाख	5%
₹8 - ₹12 लाख	10%
₹12 - ₹16 लाख	15%
₹16 - ₹20 लाख	20%
₹20 - ₹24 लाख	25%
₹24 लाख से अधिक	30%


- **स्रोत पर कर कटौती (TDS):** रेंट पर **TDS** की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर **6 लाख रुपए** किया गया है, जसिसे कर अनुपालन का बोझ कम होगा।
  - **कर रटिरन:** अद्यतन कर रटिरन की समय सीमा **2 वर्ष** से बढ़ाकर **4 वर्ष** कर दी गई है, जसिसे स्वैच्छिक कर अनुपालन में सुविधा होगी।
  - **मूल सीमा शुल्क (BCD) छूट:** कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित **36 जीवन रक्षक दवाओं** को BCD से पूर्ण छूट दी गई है।
  - **घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों एवं मोबाइल उपकरणों हेतु लथियम-आयन बैटरी वनिरिमाण** पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है।
  - **स्थानीय वनिरिमाण को प्रोत्साहित करने** तथा आयात पर नरिभरता कम करने के लिये **वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र** से संबंधित घटकों को छूट दी गई।
- **सामाजिक कल्याण और समावेशन:**
  - **पीएम स्वनिधि योजना:** वतित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के क्रम में स्ट्रीट वेंडर्स के लिये **30,000 रुपए** की सीमा वाले **UPI -लकिड करेडिट कार्ड** का प्रावधान किया गया है।
  - **गगि वरकरस के लिये पहचान पत्र:** **ई-शरम पोर्टल** पर पंजीकरण, **पीएम जन आरोग्य योजना** के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थय लाभ सुनिश्चित करने पर प्रकाश डाला गया।
  - **50,000 अटल टकिरगि लैब:** नवाचार को बढ़ावा देने के क्रम में इन्हें अगले **पाँच वर्षों में सरकारी स्कूलों में स्थापित** किया जाएगा।
  - **चकितिसा शकिषा का वसितार:** **10,000 नई चकितिसा सीटों** के साथ पाँच वर्षों में कुल **75,000 सीटों की वृद्धि** का लक्ष्य रखा गया है।
- **वतित्तीय क्षेत्र में सुधार:**
  - **ग्रामीण करेडिट स्कोर:** यह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और **ग्रामीण उधारकर्त्ताओं को औपचारिक ऋण सुविधाओं तक अधिक कुशलतापूर्वक पहुँच प्रदान करने पर केंद्रित** है।
  - **जन वशिवास वधिषक 2.0:** इसके तहत **100 से अधिक वधिषिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल करना**, व्यापार संचालन को सुलभ बनाना एवं नयामक अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।
  - **SWAMIH फंड 2.0:** यह सरकार, बैंकों और नजिी नविशकों के योगदान वाला **1 लाख से अधिक आवास इकाइयों को पूरा करने हेतु ₹15,000 करोड़ का फंड** है।
  - **बीमा क्षेत्र में FDI:** **बीमा क्षेत्र** में FDI सीमा उन कंपनियों के लिये **74%** से बढ़ाकर **100%** कर दी जाएगी जनिके द्वारा अपना पूरा प्रीमियम भारत में नविश किया जाता है।
  - **राज्यों का नविश मतिरता सूचकांक:** यह **प्रतसिपरद्धी सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देने के क्रम में राज्यों के लिये एक नया रैंकिंग ढाँचा है।
  - **ऋण संवर्द्धन सुविधा:** **NaBFID** के तहत बुनयिदी ढाँचे हेतु कॉर्पोरेट बॉण्ड का समर्थन करने के क्रम में एक **आंशिक ऋण संवर्द्धन**

सुवर्धल को स्थापतल कतल आएगा ।

• पेंशन क्षेत्र: वनलतलतक सडनवत और पेंशन उत्तुतलरुं के वकलस के लतल एक डुंथ त्थापतल कतल आएगा ।

• वनलतलतक सुधलरुं के लतल उकुक स्तरीत सडतलतल: सडुी गैर-वतलतलत क्षेत्र के वनलतलतनुं, तुरडलणनुं और ललइसेंसुं की सडुीकुषल के लतल एक उकुक स्तरीत सडतलतल कल गठन कतल आएगा ।

• रलकसुव के तुरडुख सुरुत और वतत:



• केंदुर सरकलर के तुरडुख वतत (तलकट अनुडलन):

कुल: **50,65,345** 2025-26 के लिए बजट अनुमान, ₹ करोड़ में

ब्याज	12,76,338
परिवहन	5,48,649
रक्षा	4,91,732
प्रमुख सब्सिडी	3,83,407
पेंशन	2,76,618
ग्रामीण विकास	2,66,817
गृह (संघ राज्य क्षेत्र सहित)	2,33,211
कर प्रशासन	1,86,632
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,71,437
शिक्षा	1,28,650
स्वास्थ्य	98,311
शहरी विकास	96,777
आईटी और दूरसंचार	95,298
ऊर्जा	81,174
वाणिज्य और उद्योग	65,553
वित्त	62,924
सामाजिक कल्याण	60,052



वैज्ञानिक विभाग	55,679
विदेश मामले	20,517
पूर्वोत्तर का विकास	5,915
अन्य	4,82,653

## वित्तीय प्रवृत्तियाँ और बजटीय अनुमान (2023-24 एवं 2024-25) क्या हैं?

- **प्राप्तियाँ और व्यय:** वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹27.3 लाख करोड़ थीं, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹31.3 लाख करोड़ (BE) हो गईं।
  - **प्रभावी पूंजीगत व्यय** ₹17.1 लाख करोड़ से घटकर ₹16.3 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया। राजस्व व्यय ₹34.9 लाख करोड़ से बढ़कर ₹37.0 लाख करोड़ (संशोधित अनुमान) हो गया।
  - **पूंजीगत व्यय** ₹12.5 लाख करोड़ से बढ़कर ₹15.0 लाख करोड़ (BE) हो गया, कति बाद में इसे संशोधित कर ₹13.2 लाख करोड़ किया गया।
- **घाटे की प्रवृत्तियाँ (GDP के प्रतिशत के रूप में):** वित्तीय घाटा वर्ष 2023-24 में 3.3% था और वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में यह अपरवर्तित रहते हुए 3.3% पर बना हुआ है।
  - **राजस्व घाटा** वित्त वर्ष 2023-24 में 0.3% था, जो वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में मामूली वृद्धि के साथ 0.8% हो गया।
  - **प्रभावी राजस्व घाटा** वर्ष 2023-24 में 0.3% था, जो वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर 0.8% पर पहुँच गया।
- **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल अंतरण:** वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल ₹20.65 लाख करोड़ अंतरित किया गए।
  - यह आँकड़ा वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में बढ़कर ₹22.76 लाख करोड़ हो गया तथा वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में इसके और बढ़कर ₹25.60 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
- **केंद्र सरकार की नविल प्राप्तियाँ:** वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित नविल कर राजस्व ₹28.4 लाख करोड़ रहा, जबकि गैर-कर राजस्व ₹5.8 लाख करोड़ रहा।
  - इसके अतिरिक्त गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ (जिनमें वनिविश से प्राप्त राजस्व और ऋणों की वसूली शामिल है) वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में ₹0.8 लाख करोड़ रही।



₹ करोड़ में	2023-24 (वास्तविक)	2024-25 (बजट अनुमान)	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)
राजस्व प्राप्तियां	27,29,036	31,29,200	30,87,960	34,20,409
पूंजी प्राप्तियां	17,14,411	16,91,312	16,28,527	16,44,936
कुल प्राप्तियां	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
कुल व्यय	44,43,447	48,20,512	47,16,487	50,65,345
प्रभावी पूंजीगत व्यय	12,53,111	15,01,889	13,18,320	15,48,282
राजस्व घाटा	7,65,216	5,80,201	6,10,098	5,23,846
प्रभावी राजस्व घाटा	4,61,300	1,89,423	3,10,207	96,654
राजकोषीय घाटा	16,54,643	16,13,312	15,69,527	15,68,936
प्राथमिक घाटा	5,90,771	4,50,372	4,31,587	2,92,598

## नषिकर्ष

"सबका विकास" थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 2025-26 समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ **वकिसति भारत** के लिये एक मज़बूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है। **युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग** को प्राथमिकता देते हुए इस बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ **सतत् विकास एवं नजी क्षेत्र के नविश** को प्रोत्साहित करना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो ये उपाय भारत को **वैश्विक रूप से प्रतस्पर्द्धी तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र** बनाने की दशा में अग्रसर कर सकते हैं।

और पढ़ें: [आर्थिक समीक्षा 2024-25](#)

### दृष्टभेन्स प्रश्न:

**प्रश्न.** किस प्रकार हाल के केंद्रीय बजटों ने कराधान, लोक व्यय और घाटा प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन एवं आर्थिक प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाया है, आकलन कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????:



प्रश्न. "लेखानुमोदन" और "अंतरमि बजट" में क्या अंतर है? (2011)

1. स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान उपयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार "अंतरमि बजट" के प्रावधान का प्रयोग करती है।
2. लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरमि बजट में व्यय तथा अवती दोनों सम्मिलित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement) भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख नमिन आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है: (2020)

- (a) चरिकालिक संसदीय परंपरा के कारण
- (b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 (1) के कारण
- (c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण
- (d) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

उत्तर : (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/union-budget-2025-26>

